आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–01/2023	
16.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।	
	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में उपस्थित अपीलकर्ता ने आयोग के निर्देश के आलोक में FIR दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक, बोकारो ने अपने भेजे प्रतिवेदन में आयोग को बताया है कि दर्ज कराए गए FIR की जाँच की जा रही है। इस बीच आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने यह कहा है कि जाँच की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आयोग के निर्देश में अपीलकर्ता को नया राशन कार्ड निर्गत किया जा सकता है, यदि वे राशन कार्ड के लिए आवेदन दिये हों।	
	आयोग अपीलकर्ता को निर्देश देता है कि वे नया राशन कार्ड के लिये आवेदन दें एवं राशन लेना शुरू करें। रही बात पुराने राशन कार्ड को रद्द करने की, तो इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस के अनुसंधान के निष्कर्ष से अपीलकर्ता को अवगत करा दिया जाएगा। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।	
	(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
	(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
	E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx63	